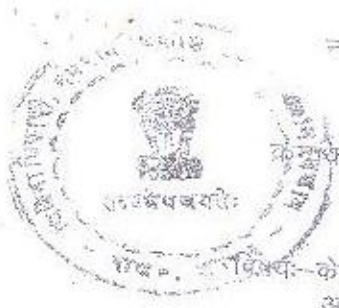




न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन गण्डल, जयपुर।)

क्रमांक - ओएससीओ/नविदि/12

दिनांक - 04-04-2013

अवार्ड

विषय - केन्द्रीय भूमि अधिनिधम 1994 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन गण्डल की आवासीय योजना करवा निवाई, जिला टॉक में कुल एकबा 87-16 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भ - अधिसूचना क्रमांक प.7(80)न.वि.वि./III/06 दिनांक 01.07.10

राजस्थान आवासन गण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अधिनिधम की अधिसूचना करवा निवाई, जिला टॉक में कुल एकबा 87-16 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.07.10 को जारी की गयी जिसमें भूमि अधिनिधम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन गण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का दिनांक 12.07.10 को 'राजस्थान राज-पत्र' के असाधारण अंक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा 'दैनिक भास्कर' व 'दैनिक सांध्य ज्योति दर्पण' जयपुर में दिनांक 02.09.10 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 11.10.10 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तानील फरवाए गये जिसकी तानीली की अन्तिम दिनांक 20.10.10 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 24.10.10 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में विशेषाधिकारी द्वारा धारा 4(1) के संनय प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 28.04.11 को 6ए की भौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि एकबा 87-16 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाता प्रस्तावित किया गया। इसके आन्तर पर राज्य सरकार द्वारा भूमि 87-16 बीघा की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 18.05.11 को जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 28.05.11 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों 'दैनिक भास्कर' व 'डेली न्यूज' जयपुर संस्करण में दिनांक 23.07.11 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 09.09.11 को जारी कर आवासीय अभियंता के द्वारा तानील करवाये गये जिसके अनुसार तानीली की अन्तिम दिनांक 30.09.11 निश्चित की गई। अधिनिधम प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 30.11.11 एवं धारा 9(2) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 08.02.12 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तानील करवाए गये जिसमें धारा 9(3) के नोटिस के क्रम में खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित मूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 से 1338, 1341 से 1344, 1346 से 1355, 1358 एवं 1359 के खातेदारों ने 25 प्रतिशत विकसित मूखण्ड के विकल्प के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए। मण्डल की पत्र दिनांक 11.02.11 एवं 03.12.12 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर टिप्पणी एवं सुझाव सूचित किया कि उक्त खसरा नम्बरों ने 25 प्रतिशत विकसित मूखण्ड बाढ़ने वाले खातेदारों/हिलकारियों को मूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्त सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन गण्डल
खण्ड-13, जयपुर

धारा 8 के अनुसार करबा निवाई, जिला टोंक में अवाप्त की जाने वाली भूमि

क्र. सं.	ग्राम/पटवार क्षेत्र	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा/क्षेत्रफल बीघा -- बिसवा	भूमि की किस्म	टिप्पणी
1.	करबा निवाई जिला टोंक	कौशल्या देवी पत्नी रामकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण नि. अलियाबाद	1320 ✓ 1321 ✓	4-09 0-07	नहरी नहरी	
2.	करबा निवाई जिला टोंक	रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या, बरदी बेवा तेज्या हि. 8/9 बाबू पुत्र जगदीश मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/9 कोम माली सा. देह खातेदार	1322 ✓	2-12	नहरी	
3.	करबा निवाई जिला टोंक	रामविलास, कन्हैया महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 4/9 बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/18 हनुमान, रामचन्द्र चौधमल पि. मोती पांथी प्रेम धापू पुत्रियां मोती जमना बेवा मोती हि. 7/8 ल गणेश पुत्र बजरंगा, नाथी बेवा बजरंगा हि. 1/8 कोम माली सा. देह खातेदार	1323 ✓ 1324 1325	0.04 2.12 2.00	गै.मु. बाडा 0.04 नहरी 2.05 बजड़ डोल 0.07 बाराणी ए-0.04 नहरी 1-16	
	करबा निवाई जिला टोंक	गोपाल, मोरलम पि. रामपाल, सोहनी बेवा रामपाल हि. 2/10 बिला रहन, प्रहलाद, सीताराम पि. केशरा, केशर बेवा केशरा, हि. 2/10, राहिन भूमि विकास बैंक फूला पुत्री केशरा हि. 1/10, हि. 1/2, हनुमान, चौधू, रामचन्द्र पि. मोती हि. 3/16, गणेश पुत्र बजरंग लाल हि. 1/16, रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक, ग्यारसी, सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 8/36, बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/36 कोम माली सा. देह खातेदार।	1326 ✓ 1327 ✓ 1328 1330 1331 1332	0.17 0.17 1.13 1.11 0.17 2.08	नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3	
	करबा निवाई जिला टोंक	प्रभु पुत्र नाथू बिरदा बेवा नाथू सूजा पुत्री नाथू कोम माली सा. देह खातेदार, राहिन भूमि विकास बैंक टोंक मूर्तहिन।	1329	2.11	नहरी 3	

अनुमोदित

100

उत्प्रेक्षित शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर



6.	कस्बा निवाई जिला टोक	रामकिशोर, गुलाबचन्द पि	1333 ✓	1.17	नहरी	
		कालू, लादी पुत्री कालू, हि.	1334 ✓	1.17	नहरी	
		3/8, कन्हैयालाल, रमेश,	1335 ✓	2.02	नहरी	
		धन्नालाल, छोटू पिता केशर				
7.	कस्बा निवाई जिला टोक	जीता पुत्री केशर, फूला बेवा				
		केशर, हि. 1/8, औंकार				
		पुत्र नारायण हि. 1/8,				
		रामकरण पुत्र नारायण हि.				
8.	कस्बा निवाई जिला टोक	1/8, राहुन सम्पूर्ण स्टेट				
		बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड				
		जयपुर, जमना पुत्र नारायण				
		हि. 1/8 कौम माली सा. देह				
9.	कस्बा निवाई जिला टोक	खातेदार				
		भागीरथ पुत्र गंगाराम हि.	1336 ✓	3.07	बारानी 1	
		1/2, नानगराम, ताराचन्द				
		गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि.				
10.	कस्बा निवाई जिला टोक	3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल				
		1/8				
		श्रीमति मधुबाला, कोटावाला,	1337 ✓	1.15	बारानी 2	
		धर्मपति श्री नन्दकुमार जी,	1338 ✓	3.16	बारानी 2	
11.	कस्बा निवाई जिला टोक	कोटावाला जाति अग्रवाल हि.	1341 ✓	7.13	नहरी	
		नि. - 3, कृष्णा मार्ग	1343 ✓	0.03	बंजड 1	
		सी-स्क्रीन जयपुर।	1344 ✓	2.00	नहरी	
			1346 ✓	1.15	नहरी	
12.	कस्बा निवाई जिला टोक		1347 ✓	2.00	नहरी	
			1348 ✓	1.02	नहरी	
			1349 ✓	2.15	नहरी 3	
			1351 ✓	1.18	नहरी 3	
13.	कस्बा निवाई जिला टोक		1353 ✓	1.13	नहरी 3	
			1354 ✓	0.09	गै. मु. आबादी	
			1355 ✓	1.09	नहरी 3	
			1358 ✓	1.01	नहरी	
14.	कस्बा निवाई जिला टोक		1359 ✓	1.19	नहरी	
15.	कस्बा निवाई जिला टोक	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि.	1342 ✓	4.12	बंजड	
		1/2, नानगराम, ताराचन्द,	1352 ✓	5.01	बारानी	
		गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि.				
		3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल				
16.	कस्बा निवाई जिला टोक	हि. 1/8, कौम माली सा.				
		देह खातेदार				
		श्रीमती मधुबाला कोटावाला	1350 ✓	3.13	नहरी	
		पत्नी श्री नन्दकुमार				
17.	कस्बा निवाई जिला टोक	कोटावाला निवासी-एल-3,				
		कृष्णा मार्ग, सी-स्क्रीन,				
		जयपुर।				
18.	कस्बा निवाई जिला टोक	हनुमान, रामदास, बजरंग	1356 ✓	3.05	नहरी	
		लाल पि. जगदीश, सन्तोष,				
		संतरा, भन्तू पुत्रियां जगदीश,				
		गोविंदी बेवा जगदीश बोग				
19.	कस्बा निवाई जिला टोक	ब्राह्मण सा. देह खातेदार				

उत्तरी

मुख्य शोशन सचिव
गरीब विकास विभाग
सन सचिवाल, जयपुर

आवासीय अभियान
राजस्थान भवन मण्डल
खण्ड-13, जयपुर

12.	करबा निवाड़ी जिला टोंक	नगरपालिका निवाड़ी	1339	6.09	नै.मु.आवादी	
13	करबा निवाड़ी जिला टोंक	राजस्थान सरकार	1357	1.07	चारागाह	
भूमि का कुल क्षेत्रफल				87.16 बीघा		

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अनियंता से द्वारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 01.07.10 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दर व एकमीना प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 06.09.12 द्वारा सूचित किया गया। आवासीय अनियंता से उप पंजीयक निवाड़ी टोंक के पत्र दिनांक 01.02.13 द्वारा प्रमाणित डी.एल.सी. दरें प्राप्त हुई जिसमें डी.एल.सी. दरें प्रति बीघा एवं आवासीय दरें प्रति वर्गगज निम्न प्रकार दर्शायी गई:-

सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक	सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक		सड़क सीमा से 500 मीटर से अधिक		आवासीय दर	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सड़क पर	कच्चे रास्ते/ ग्रेवल मिट्टी रोड़ पर
15,02,000/- रु. प्रति बीघा	4,05,000/- रु. प्रति बीघा	3,18,000/- रु. प्रति बीघा	3,18,000/- रु. प्रति बीघा	2,43,000/- रु. प्रति बीघा	3000/-रु. प्रति वर्गगज	2000/-रु. प्रति वर्गगज

आवासीय अनियंता से पत्र दिनांक 18.09.12 द्वारा प्रेषित नक्शे पर दर्शाते हुए अवगत कराया कि अवाप्ताधीन भूमि के खसरा नं. 1337, 1338, 1339, 1341 से 1344 एवं 1346 से 1359 तक सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक खसरा नं. 1320 से 1336 तक सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक की सीमा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत खसरा नं. 1329 एवं 1342 में कुंआ स्थित है एवं इसके अतिरिक्त कोई स्तम्भचर्च अवस्थित नहीं है।

अवाप्ताधीन भूमि कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं शक्ति में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियल को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जावेगा। उक्त भूमि का मुआवजा सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक 15,02,000/-रु.प्रति बीघा, सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक सिंचित एवं असिंचित श्रेणी में क्रमशः 4,05,000/-रु. एवं 3,18,000/-रु. प्रति बीघा की दर से खातेदारों/हितधारियों को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अतः मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है।

ताद संख्या	कार्यकार का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर एकत्रा बीघा-बिस्वा में	नगद मुआवजा / 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड
7(80)/10/1	कौशल्या देवी पत्नी रामकिशन शर्मा जाति ब्राह्मण नि. अलिगढ़	1320 1321	4-09 0-07

खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि को गणना नहीं की जा रही है।

राजस्थान सरकार
खण्ड-13, जयपुर

क्र.सं.	सूचना	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	विवरण
7(80)/10/2	रामबिलास, कन्हैया, महावीर पि. तैज्या तुलसा, सन्तोष गारसी सीता पुत्रियां तैज्या बरबी बेवा तैज्या हि. 8/9 बाबू पुत्र जगदीश मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/9 कोम माली सा. देह खातेदार	1322	2-12	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/10/3	रामबिलास, कन्हैया, महावीर पि. तैज्या तुलसा, सन्तोष गारसी सीता पुत्रियां तैज्या बरबी बेवा तैज्या हि. 4/9 बाबू पुत्र जगदीश मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/18 भुमाल, रामचन्द्र धोशमल पि. मोती पांकी बेम धारू पुत्रियां मोती जगन्ना बेवा माली हि. 7/8 न गजेश पुत्र बजरंग, लक्ष्मी बेम बजरंग हि. 1/9 कोम माली सा. देह खातेदार	1323 1324 1325	0.04 2.12 2.00	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/10/4	गोपाल, गोपल पि. रामपाल, छोड़नी बेम रामपाल हि. 2/10 बिला रतन, महलान, सीताराम पि. फेरार, फेरार बेवा फेरार हि. 2/10 राहिन भुमि विकास बैंक फूला पुत्री फेरार हि. 1/10, हि. 1/2, हनुमान, चौधू, रामचन्द्र पि. मोती हि. 3/16, गणेश पुत्र बजरंग काल हि. 1/16, रामबिलास, कन्हैया, महावीर पि. तैज्या तुलसा, सन्तोष गारसी, सीता पुत्रियां तैज्या बरबी बेवा तैज्या हि. 8/36 बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/36 कोम माली सा. देह खातेदार	1326 1327 1328 1330 1331 1332	0.17 0.17 1.13 1.11 0.17 2.08	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/10/5	रघु पुत्र बाधू, बिराद बेवा बाधू, सुता पुत्री बाधू, कोम माली सा. देह खातेदार राहिन भुमि विकास बैंक लोक नूतन	1329	2.11	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/10/6	रामकिशोर, गुलाबचन पि. कालू, लावी पुत्री कालू हि. 3/8, कन्हैयालाल, रमेश, धन्नालाल, छोदू पिता केशरा सीता पुत्री केशरा फूला बेवा केशरा हि. 1/8, ओकरा पुत्र गारदय हि. 1/6, रामचरण पुत्र नारायण हि. 1/6, राहिन रामचरण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जगन्ना पुत्र नारायण हि. 1/5 कोम माली सा. देह खातेदार	1333 1334 1335	1.17 1.17 2.02	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/10/7	भागीरथ पुत्र रामचरण हि. 1/2, नानासाय, दादासाय गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र भोगाल 1/8	1336	3.07	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुख्यक की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।

	कोटावाला जाति अग्रवाल हि. नि. - 3, कृष्णा मार्ग सी-स्क्रीन जयपुर।	1338	3.16	मुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
		1341	7.13	
		1343	0.03	
		1344	2.00	
		1346	1.16	
		1347	2.00	
		1348	1.02	
		1349	2.15	
		1351	1.18	
		1353	1.13	
		1354	0.09	
		1355	1.09	
		1358	1.01	
		1359	1.19	
7(80)/ 10/9	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि. 1/2, नागाराम, ताराचन्द, गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल हि. 1/8, कौम माली सा. देह खातेदार	1342 1352	4.12 5.01	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/ 10/10	श्रीमती मधुबाला कोटावाला पत्नी श्री मन्दकुमार कोटावाला निवासी-एल-3, कृष्णा मार्ग, सी-स्क्रीन, जयपुर।	1350	3.13	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित मुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
7(80)/ 10/11	हनुमान, रामदास, बजरंग लाल पि. जगदीश, सन्तोष, रतितरा, मन्नु पुत्रियां जगदीश, गोविंदी देवा जगदीश कौन ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1356	3.05	15,02,000 प्रति बीघा भूमि कीमत तकसीमा मण्डल अनुसार अ 48,81,500 30% अनिवार्य अवाप्ति व 14,64,450 योग अ+व 63,45,950
7(80)/ 10/12	नगरपालिका निवाइं	1329	6.09	15,02,000 प्रति बीघा भूमि कीमत तकसीमा मण्डल अनुसार अ 96,87,900 30% अनिवार्य अवाप्ति व 29,06,370 योग अ+व 1,25,94,270
7(80)/ 10/13	राजस्थान सरकार	1357	1.07	राजकीय भूमि होने के कारण गणना नहीं की जा रही है।

खातेदारों को उपर्युक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के
अनुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से
पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि
यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही सू-अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से
नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की गयी राशि पर 16 प्रतिशत वार्षिक व्याज देय होगा।

अभिधान्त
राजस्थान
जयपुर

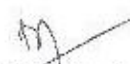
जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार अधिकतम 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तुशदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्राप्ति को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुंआ पृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता की तकमीना रिपोर्ट प्रचलित बी.एस.आर. की दरों के आधार मानते हुए तय किया जाता है। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणों के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति चग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित है लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विधायधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 04-04-13 को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।


संतुष्ट शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर


विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(80)न.वि.वि./3/06 जयपुर दिनांक 25.04.13 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सारे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 08.05.13 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावे।

Zo
विशेषाधिकारी

क्रमांक:-ओ.एस.डी./न.वि.वि/13/128

दिनांक:- 8-5-2013

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

आवासीय अभिवृत्ता विशेषाधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर-13, जयपुर